प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 01/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

विषयः भादूविप्रा ने प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र के लिए टैरिफ आदेश, इंटरकनेक्शन विनियम और सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 के लिए संशोधन जारी किए।

नई दिल्ली 1 जनवरी, 2020: डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) के कार्यान्वयन और इसके लाभ प्राप्त करने में क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विधिवत परामर्श प्रक्रिया के बाद 3 मार्च 2017 को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के लिए विस्तृत विनियामक फ्रेमवर्क प्रकाशित किया है। इस फ्रेमवर्क में प्रसारण सेवाएं मुहैया कराने के लिए दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2017 शामिल हैं। इस फ्रेमवर्क को मार्च 2017 में अधिसूचित किया गया था। हालांकि, उक्त विनियमों के खिलाफ प्रस्तुत कानूनी चुनौतियों के चलते, इसे कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 29 दिसंबर 2018 से लागू किया गया।

2. यह फ्रेमवर्क क्षेत्र में सुगम व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्थापित करने, समान अवसर देने, टीवी चैनल के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाने, हितधारकों के बीच मुकदमाबजी को कम करने और छोटे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) को समान अवसर प्रदान करने में पूरी तरह से सफल है। परिणामस्वरूप, हितधारकों के बीच विवादों और प्रवेश संबंधी बाधाओं में स्पष्ट कमी आई है। पारदर्शिता ने बेहतर कर अनुपालन की शुरुआत की है जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई है। हालांकि, कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न मुद्दों के कारण उपभोक्ताओं के लिए इच्छित विकल्प चुनने की सुविधा प्रभावित हुई है।

3. विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए, भादूविप्रा ने दो परामर्श पत्र जारी किएः क) 16 अगस्त 2019 को 'प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए टैरिफ संबंधी मुद्दे'; और 2) 25 सितंबर 2019 को 'इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 से संबंधित मुद्दे'।

परामर्श पत्रों में विभिन्न हितधारकों से कुछ टैरिफ और इंटरकनेक्शन संबंधी मुद्दों पर टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए हैं, जिनमें प्राधिकरण की राय में, कुछ बदलावों की आवश्यकता है और जो मार्च 2017 में अधिसूचित विनियामक फ्रेमवर्क के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अहम हैं।

4. उनमें से कुछ प्रमुख मुद्दों में बुका बनाते समय प्रसारकों के लिए अधिकतम अनुमत छूट, नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) में अनुमति प्राप्त चैनलों की संख्या, एक से ज्यादा टीवी वाले घरों के लिए लागू, दीर्घकालिक सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर करते समय वितरण प्लेटफार्म ऑपरेटरों संचालकों के लिए लचीलापन, प्रसारकों द्वारा डीपीओ को देय शुल्क शामिल हैं।

5. भादूविप्रा ने आज दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का 1), दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं – सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का 2) और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश संशोधन, 2020 (2020 का 1) जारी किए हैं।

6. प्राधिकरण ने विशेष रूप से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया और तदनुसार नए विनियामक फ्रेमवर्क के कुछ प्रावधानों में संशोधन किए। प्रसारकों द्वारा ए–ला–कार्टे चैनलों के योग की तुलना में बुके के निर्माण में भारी छूट देने के मुद्दे का समाधान करने के लिए, प्राधिकरण ने निम्नलिखित दो शर्तें निर्धारित की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ए–ला–कार्टे चैनलों की कीमतों को लेकर कोई भ्रम न पैदा होंः –

क) बुके में शामिल पे चैनलों की ए–ला–कार्टे दरों का योग (एमआरपी) किसी भी मामले में, उस बुके की दर से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगा, जिसमें ये पे चैनल शामिल हैं; तथा

ख) बुके में शामिल प्रत्येक पे चैनल की ए–ला–कार्टे दरें (एमआरपी) किसी भी स्थिति में बुके के पे चैनल के औसत दर से तीन गुना से अधिक नहीं होंगी, जिसमें इस तरह के पे चैनल शामिल हैं।

7. इसके अलावा, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि केवल उन्हीं चैनलों को प्रसारकों द्वारा प्रस्तुत बुके में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी, जिनका एमआरपी 12 रु. तक है।

8. एनसीएफ संबंधी मुद्दे उपभोक्ताओं के लिए चिंता के अन्य क्षेत्र थे। भादूविप्रा ने विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जांच की है और तदनुसार, प्रतिमाह कर को छोड़कर अधिकतम 130 रु. के एनसीएफ में 200 चैनलों के प्रावधान को अनिवार्य बनाया। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनिवार्य घोषित किए गए चैनलों को एनसीएफ में चैनलों की संख्या में नहीं गिना जाएगा। डीपीओ को यह भी अधिदेश दिया गया कि वे अपने प्लेटफार्म पर उपलब्ध सभी चैनलों को उपलब्ध कराने के लिए 160 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं लेंगे।

9. उपभोक्ताओं ने यह भी बताया कि डीपीओ एक से अधिक टीवी वाले घरों से एनपीएफ के रूप में बहुत ज्यादा शुल्क ले रहे हैं। भादूविप्रा ने फैसला किया है कि एक से अधिक वाले घरों के मामले में, जहां एक व्यक्ति के नाम पर एक घर में एक से अधिक टीवी कनेक्शन हैं, दूसरे और अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए घोषित एनसीएफ का अधिकतम 40 प्रतिशत शुल्क लिया जा सकेगा। प्राधिकरण ने डीपीओ को लंबी अवधि के सब्सक्रिप्शन पर छूट देने की भी अनुमति दी है जो 6 महीने या उससे अधिक के लिए है।

10. भादूविप्रा ने डीपीओ द्वारा वसूले जा रहे भारी कैरिज शुल्क के संबंध में प्रसारकों की चिंता पर भी ध्यान दिया है। भारी कैरिज शुल्क से संबंधित चिंता का समाधान करने के लिए, प्राधिकरण ने अधिदेश दिया है कि एमएसओ, हिट्स ऑपरेटरों, आईपी टीवी सेवा प्रदाताओं के पास राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में बड़ा लक्ष्य बाजार नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। इसके अलावा, देश में चैनल को कैरी करने के लिए एक महीने में प्रसारक द्वारा एक डीपीओ को देय कैरिज शुल्क पर प्रति माह 4 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तय की गई है।

11. प्राधिकरण ने डीपीओ को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) पर टीवी चैनलों को रखने के लिए और अधिक लचीलापन दिया है और अधिदेश दिया कि एक श्रेणी में एक भाषा के चैनलों को ईपीजी पर एक साथ रखा जाएगा। इस तरह के ईपीजी लेआउट की सूचना भादूविप्रा को अनिवार्य रूप दी जाएगी और प्राधिकरण की अनुमति के बिना इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इससे प्रसारकों की चिंताओं का काफी हद तक निवारण हो जाएगा क्योंकि यह डीपीओ को टेलीविजन चैनल के एलसीएन में बार–बार बदलाव की अनुमति नहीं देगा, अगर वे उनके अधिदेश के लिए सहमति नहीं देते हैं।

12. परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किए गए संशोधनों ने नई व्यवस्था के बुनियादी संदर्भों को अछूता छोड़ दिया है और ब्रॉडकास्टर्स/डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) अपने व्यवसायों को पूरा करने में लचीलेपन का लाभ उठाते रहेंगे। समीक्षा कुछ उपभोक्ता अनुकूल उपायों और हितधारकों के हित को संतुलित करने तक सीमित है। संशोधन यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि मौजूदा फ्रेमवर्क के उद्देश्य काफी हद तक पूरे हो जाएं।

13. संशोधनों में कार्यान्वयन के लिए हितधारकों को समुचित समय दिया गया है। प्रसारकों को अपनी वेबसाइट पर 15 जनवरी 2020 तक संशोधित अ–ला–कार्टे चैनलों और बुके के एमआरपी प्रकाशित करना जरूरी है और डीपीओ को 30 जनवरी 2020 तक अपनी वेबसाइट पर अ–ला–कार्टे चैनलों ओर बुकों की संशोधित डीआरपी को प्रकाशित करना आवश्यक है। उपभोक्ता 1 मार्च 2020 से प्रभावी संशोधित प्रावधानों के अनुसार लाभ प्राप्त करने में समर्थ होंगे। प्राधिकरण का यह भी मत है कि संशोधनों से उपभोक्ताओं के लिए नए प्रस्तावों की शुरूआत होगी। कुल मिलाकर संशोधनों के परिणामस्वरूप प्रसारण एवं केबल सेवा क्षेत्र का उचित और सुनियोजित विकास होने की संभावना है।

14. संशोधनों एवं विनियमों में संशोधनों का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

15. किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए नीचे दिए अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:

क) श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार– 2 (बीएंडसीएस), 011–23237922
ख) श्री अरविंद कुमार, सलाहकार– 1 व 3 (बीएंडसीएस, 011–23220209

(एस. के. गुप्ता)
सचिव,भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।